तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.06.25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादिनी एवं वादिनी के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादिनी एवं स्वयं वादिनी अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है। लिहाजा वादिनी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो। [signature] 06/25 [illegible] (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर